न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 53/2016 **दायर दिनांकः 05/04/2016**

उनवान

1. रघुराज सिंह आयु 61 वर्ष पुत्र प्रभूसिंह जाति राव राजपूत निवासी रहलाई तहसील अटरू हाल निवासी पुरानी नाकोडा कॉलोनी तेल फैक्ट्री के पास बारां जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट, रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।

आदेश दिनाक : 15/11/2018

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट रिकार्ड दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रहलाई तहसील अटरू जिला बारां में साबित खाता संख्या 75 के खसरा नं0 303 का रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा आराजी खातेदार प्रभूसिंह वल्द हरिसिंह हिस्सा 3/4, कल्याणसिंह, प्रभू सिंह पुत्र मांगीलाल, अनोखबाई पुत्री मांगीलाल हिस्सा 1/4 दर्ज खाता चली आ रही थी जब तक वादी के पूर्वज जीवित थे तब तक उक्त वर्णित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे थे उनकी मृत्यु के पश्चात से मै व सहखातेदार उसी आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039, पुराना नक्शा ट्रेस सेटलमेन्ट, जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी के बाद सेटलमेन्ट नये खाता संख्या 132 का ख0नं0 348 का रकबा 1.20 है0 दर्ज किया है। जबकि रकबा 1.60 है0 दर्ज करना चाहिए था। जो पुराने रकबे के हिसाब से 0.40 है0 कम दर्ज किया है जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। उक्त त्रुटि आपके अधिनस्थ सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण ने की है। जबकि आज भी वादी व अन्य सह खातेदार मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। आराजी कम दर्ज कर देने से खातेदारान को उनके स्वामित्व की आराजी से वंचित होना पड रहा है। तथा आर्थिक व मासिक क्षति पहुच रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 नक्शा ट्रेस, मिलान क्षैत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी का वर्तमान में रकबा कम दर्ज कर देने से वादी को उसके कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी सं वंचित होना पड रहा है। तथा प्रतिवादी वादी को 0.40 है0 आराजी पर से बैदखल करने पर आमादा है जबकि पूर्वजों के समय से उक्त वर्णित आराजी पर वादी शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उसके द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही है यदि प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और प्रतिवादी ने वादी को 0.40 है0 आराजी पर से बैदखल कर दिया तो वादी को आराजी में प्राप्त चले आ रहे अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा जिससे अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 2 मे वर्णित आराजी में 1.20 है0 आराजी के स्थान पर 1.60 है0 आराजी खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द

करवाने का अधिकारी है कि वह वादी को उसके कब्जे काश्त की 1.60 है0 आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा रकबा कम दर्ज करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 25.10.2015 को प्रतिवादी द्वारा 0.40 है0 आराजी पर से वादी को बैदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ है। राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू को विधिक नोटिस 2 माह का प्रेषित कर दिया है। परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व ही यह वाद 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल रहलाई तहसील अटरू जिला बारां में स्थित है। जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है।

अतः माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें :–

(अ) वाके ग्राम एवं माल रहलाई के वर्तमान खाता संख्या 132 का ख0नं0 348 का रकबा 1.20 है0 के स्थान पर 1.60 है0 आराजी पर वादी एवं अन्य सहखातेदारान को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को दुरूस्त किया जावें।

(ब) प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी को उसकी कब्जे काश्त की आराजी को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण प्रतिवादी का जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत PW_1 से PW_3 के शपथ पत्र पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

उभय पक्ष की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, विद्धान अभिभाषक वादी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि सेटलमेन्ट के कर्मचारियान द्वारा रकबा 0.40 है0 कम करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया अतः माल रहलाई के वर्तमान खाता संख्या 132 का ख0नं0 348 रकबा 1.20 है0 के स्थान पर 1.60 है0 आराजी पर वादी एवं सहखातेदारान को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा प्रतिवादी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। तथा पत्रावली का पत्रावली का अवलोकन किया गया, ग्राम रहलाई के साबिक खाता संख्या 75 ख0नं0 303 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि वादीगण व सहखातेदारों के दर्ज चली आ रही है। जिसके हाल नम्बर 342 का रकबा 1.20 है0 बनाया गया है। रिकार्ड अनुसार वादी के 0.40 है0 भूमि कम दर्ज की है। वादी द्वारा कमी हुआ रकबे के बारें में कोई जानकारी नहीं दी गई 0.40 है0 किस रकबें में से क्षतिपूर्ति की जावें। ख0नं0 348 के आसपास कोई सिवायचक भूमि नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां